भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान–मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत
अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री फागू चौहान

का

अभिभाषण

19 फरवरी, 2021

बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण

मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य सम्पन्न होने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

गुजरा हुआ साल–2020 वैश्विक महामारी कोविड–19 से आक्रांत रहा और इसका प्रकोप अभी भी जारी है। पूरा देश और बिहार भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशा–निर्देशों को पूरी तरह लागू किया है। इस महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिये 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। केन्द्र सरकार से भी इसके लिए जरूरी मदद मिली है।

इस बीमारी का सामना करते हुए सबको स्वस्थ रखने के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किया है। राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए जाँच की सुविधा एवं इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले के आँकड़ों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 लाख 72 हजार 425 लोगों की जांच को गयी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1 लाख 49 हजार 440 है। राज्य में कुल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक जाँच किया गया है। बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 99.19 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 97.31 प्रतिशत है। कोविड–19 से मृत्यु का प्रतिशत जहाँ पूरे देश में 1.43 प्रतिशत है वहीं बिहार राज्य में यह 0.58 प्रतिशत है।

राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण कुछ हद तक नियंत्रित है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 587 रह गई है। केन्द्र सरकार पूरे देश में कोविड–19 टीकाकरण के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। केन्द्र सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अन्य विकसित देशों की तरह भारत में भी वैक्सीन बनाई जा रही है तथा पूरे देश में एक साथ टीकाकरण के लिए दो प्रकार की वैक्सीन कोविशिल्ड तथा कोवैक्सीन पयाप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही है। टीकाकरण किस प्रकार से किया जाना है इसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किए हैं। बिहार में भी केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार टीकाकरण का काम चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया गया है, जिसमें बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। उसके बाद फ्रंटलाईन वर्कर्स का टीकाकरण होना है, जिसका काम अभी चल रहा है। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के तथा 50 वर्ष से कम आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। बिहार में 4 लाख 95 हजार 792 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जायेगा। टीकाकरण आरंभ होने का यह मतलब कदापि नहीं है कि लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। सभी लोगा को अभी भी पूरी तरह से सजग और सचेत रहना होगा और पूरे तौर पर सावधानी बरतनी होगी।

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विधि–व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित करना तथा लोगों को भयमुक्त

समाज एवं विकास प्रदान करना है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि वे दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहाद एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।

सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष, 2020 में भ्रष्ट लोक सेवकों को ट्रैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने के 22 कांड, पद के दुरूपयोग संबंधित 4 कांड एवं प्रत्यानुपातिक धनाजन से संबंधित 6 कांड अर्थात कुल 32 कांडों में कार्रवाई की गई है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अन्तर्गत अपराध जनित अवैध परिसम्पत्तियों की जब्ती के कुल 161 प्रस्ताव इकाई द्वारा प्रवर्त्तन निदेशालय को भेजे गये हैं, जिनमें से अबतक 28 अभियुक्तों की 45 करोड़ 81 लाख रूपय की अपराध जनित परिसम्पत्तियाँ जब्त की जा चुकी हैं।

प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून को लागू कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत जाति, आय, आवासीय, ओ०बी०सी० प्रमाण पत्रों की सेवा को पूरी तरह से ऑनलाईन किया गया है, जिसके माध्यम से लोग बिना काउन्टर पर गए आवेदन दायर कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र अपनी सुविधानुसार डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सरकार भवनों में भी लोक सेवा हेतु काउन्टर स्थापित किए गए हैं, जिनसे ग्रामीणों को निःशुल्क सेवाएँ उनके निकटतम स्थान में प्राप्त हो रही है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू कर लोगों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ नियत समय–सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार दिया गया है।

राज्य सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी क्षेत्रों एवं सभी तबकों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, विकेन्द्रीकृत होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि तथा वंचित वर्गों के विकास तथा कल्याण के लिए जो अनेक योजनाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं, उनसे बहुत कुछ हासिल हुआ है और इन सभी को और सुदृढ़ करते हुए क्रियान्वित किया जाता रहेगा। विकसित बिहार को परिकल्पना साकार करने के लिए अब राज्य सरकार ने कुछ नये संकल्प लिए हैं। न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार ने 'सुशासन के कार्यक्रम 2020–2025' के तहत सात निश्चय–2 को संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से इससे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जायेगा।

बिहार देश के सबसे युवा–बहुल राज्यों में से एक है। युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम लागू हैं, जिसका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ–साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी, जिससे उन्हें रोजगार क बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का पहला निश्चय –**''युवा शक्ति– बिहार की पगति''** के तहत राज्य के प्रत्येक आई०टी०आई० एवं पालिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की

गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेन्टर आफ एक्सोलेन्स बनाया जाएगा। वैसे युवा जो आई०टी०आई० एवं पालीटेक्निक संस्थानों में नही पढ़ रहे ह, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेन्टर खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके साथ–साथ प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण पाने के पश्चात युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

राज्य में उद्यमिता संस्कृति के विकास के लिए उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है बल्कि उन्हें नया उद्यम अथवा व्यवसाय लगाने क लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपये का ऋण मात्र 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। सरकार के प्रयासों से सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किये जायेंगे।

बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एव एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोटस एकेडमी, राजगीर के परिसर मे एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील है और यह इसकी प्रमुख नीतियों का अभिन्न अंग है। सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तीकरण की नींव रखी गई। 'जीविका' परियोजना के तहत स्वयं–सहायता–समूहों के गठन से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। राज्य में लगभग 10 लाख से अधिक स्वय सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा 1 करोड़ 20 लाख से अधिक परिवारों की महिलाएँ इससे जुड़ गई हैं। साथ ही जीविका समूहों के माध्यम से अस्पतालों में भी मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार के दूसरे निश्चय ''**सशक्त महिला सक्षम महिला**'' के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए यह व्यवस्था पहले से ही थी, अब सभी महिलाओं के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित छात्राओं को 25 हजार रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर छात्राओं, जो विवाहित हों अथवा अविवाहित, को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन यथा–थानों, प्रखण्डों, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में महिलाओं को अधिक संख्या में पदस्थापित कर उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

कृषि कार्यों में सिंचाई की महत्ता को देखते हुए सरकार के तीसरे निश्चय ''**हर खेत तक सिंचाई का पानी**'' के तहत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि सभी लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। हर घर में शौचालय निर्माण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकांश घरों में नल का जल दिया गया है एवं अधिकांश घरों तक पक्की नाली एवं गलियाँ बन चुकी हैं। बचे हुए शेष कार्यों को भी शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। सरकार के चौथे निश्चय **''स्वच्छ गाँव समृद्ध**

गाँव'' के तहत हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली–नाली एवं हर घर शौचालय जैसी सभी योजनाओं के रख–रखाव के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी। सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाएगा। गाँव में भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था कराई जाएगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन एवं मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इनसे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ेगी।

राज्य सरकार शहरों के विकास के लिए भी पूरा प्रयास कर रही है। सरकार के पाँचवे निश्चय ''**स्वच्छ शहर–विकसित शहर**'' के तहत सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कराई जाएगी। शहर में रह रहे बेघर–भूमिहीन, गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवासन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी शहरों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे की शहरों में जल–जमाव की समस्या न रहे। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहाँ पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सविधाएँ मिल सकें। शहरों में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाया जाएगा।

राज्य के कोने–कोने में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, राज्य के हर सुदूर क्षेत्र से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस लक्ष्य को घटाकर अब 5 घंटे किया गया है और इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य चल रहा है। लगभग सभी ग्रामीण बसावटों को एकल सम्पर्कता दी गई है। सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण के लिए नीति बनाई गई है। इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सरकार के छठे निश्चय ''**सुलभ सम्पर्कता**'' के तहत शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हतु आवश्यकतानुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा–प्रखण्ड, थाना, अनुमण्डल, बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक सम्पर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

सरकार के सातवें निश्चय **''सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा**'' के तहत पशुओं एवं लोगों के लिए भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाएं निःशुल्क होंगी और उनकी डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। टेलिमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे, जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहुँचकर सेवाएँ दी जाएगी। देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाएंगी तथा टेलिमेडिसिन क माध्यम से लोगों को बेहतर ईलाज की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए नई योजना ''बाल हृदय योजना'' लागू की जा रही है।

सुशासन 2020–25 के अन्य कार्यक्रमों के तहत विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउन्सिलिंग सेन्टर, राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों

का पंचायतवार डाटा बेस का संधारण एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से दलहन की खरीद की व्यवस्था शामिल है।

राज्य सरकार ने मानव संसाधन के विकास को दृष्टिगत कर शिक्षा पर शुरू से ध्यान केन्द्रित किया है। विद्यालय से वंचित वर्गों का दाखिला सुनिश्चित कराने एवं लड़के, लड़कियों के बीच शिक्षा के अंतर को दूर करने क लिए बहुआयामी रणनीति के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये, कक्षाओं की संख्या बढ़ायी गयी, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित की गयी और पोशाक, साईकिल, प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजनाएं चलायी गयी ह। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 5 हजार 82 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है तथा शेष 3 हजार 304 पंचायतों में भी कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू हो गई है।

बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधायें सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार, सतत् प्रयत्नशील है। आमजन को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनायें संचालित की जा रही है एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना राज्य का महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान होने एवं इसके गौरवशाली इतिहास को देखते हुए इसे विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 5 हजार 540 करोड़ रुपये की लागत से इसे 5 हजार 462 बेड के अस्पताल एवं 250 नामांकन के चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है जिसका कार्यारम्भ दिनांक 08.02.2021 को किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा तथा पूरे विश्व में यह दूसरे स्थान का अस्पताल होगा। यहाँ पर लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए इसे गंगा पथ एवं अशोक राज पथ के ऊपर बनने वाले एलिवेटेड पथ से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त पटना मेट्रो से भी इसे जोड़ा जा रहा है। इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में कुल बेडों की संख्या 2 हजार 732 किये जाने का कार्य जारी है। इस संस्थान में किडनी एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी का कार्य आरंभ हो चुका है। लीवर प्रत्यारोपण की भी सारी व्यवस्थाएँ की जा चुकी हैं। निकट भविष्य में हृदय प्रत्यारोपण आदि कार्य प्रारंभ किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में राज्य कैंसर संस्थान के रूप में 100 बेड के अत्याधुनिक संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से कैंसर अस्पताल के निर्माण हेतु 15 एकड़ भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी है।

मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं टीकाकरण के आच्छादन को बढ़ाने हेतु विभिन्न माध्यमों से विविध प्रकार के सकारात्मक पहल किये गये हैं, जिसका प्रतिफल है कि मातृ मृत्यु–दर जो वर्ष 2005–06 में 312 था वह घटकर वर्तमान में 149 हो गया है। वर्ष 2005–06 में शिशु मृत्यु दर 61 था वह घटकर वर्तमान में 32 हो गया है। टीकाकरण का आच्छादन जहाँ 2005–06 में मात्र 11 प्रतिशत था, वह अब बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है।

बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है। बिजली के सभी क्षेत्रों में यथा– उत्पादन, संचरण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। हर घर में बिजली पहुंचा दी गयी है। यह बिजली में हुए सुधार का ही नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहाँ 700 मेगावाट थी वह अब बढ़कर 5 हजार 932 मेगावाट से अधिक हो गयी है। राज्य में कृषि कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत् 1300 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसका कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

देश में पहली बार स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन प्री–पेड प्रणाली के साथ बिहार में शुरू किया गया है और अब तक 1 लाख से भी अधिक प्री–पेड स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी कायक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की बदौलत कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। कोरोना महामारी के बाद जब सारे कार्य लगभग बंद हो गये तो भी किसानों ने इस अर्थव्यवस्था को चलाये रखा है। किसानों को घर तक बीज पहुँचाने के लिए बीज की होम डिलिवरी की शुरूआत की गयी। इस कार्यक्रम के तहत खरीफ–2020 मौसम में 49 हजार 246 किसान तथा रबी–2020 मौसम में 71 हजार 98 किसान लाभान्वित हुए।

राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों एवं अन्य जिला को मिलाकर कुल 13 जिलों का चयन किया गया है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुओं के स्वास्थ्य एवं बीमारियों से रोकथाम हेतु वर्ष 2020–21 में कुल 6 करोड़ 16 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। राज्य के सभी पशुओं की पहचान हेतु इयर टैगिंग का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र में आशातीत विकास हुआ है। वर्ष 2019–20 में राज्य में 6 लाख 41 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ। अब मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है।

राज्य के सभी प्रखण्डों में स्वचालित मौसम केन्द्र के अधिष्ठापन का कार्य समाप्ति पर है। साथ ही राज्य के सभी पंचायतों में स्वचालित रेन गेज लगाने का काम प्रगति पर है। लोगों का मौसम के संबंध में सटीक सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिहार मौसम सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है।

किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ–साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया जा रहा है। राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से विकेन्द्रोकृत तरीके से किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान कराना है। इस वर्ष राज्य में धान की अधिप्राप्ति दिनांक 21.02.2021 तक की जाएगी। कुछ दिन पहले तक 6 हजार 478 समितियों के माध्यम से 4 लाख 14 हजार 868 किसानों से 30 लाख 22 हजार 536 मेट्रिक टन धान का क्रय किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा दलित–महादलित, आदिवासी, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सरकार की रणनीति उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं और हाशिए पर हैं। सभी को बराबरी का अवसर मिले ताकि वे इसका फायदा उठा सकें और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

राज्य में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 91 लाख 85 हजार पेंशनधारियों को उनके बैंक खाते में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

राज्य में शहरीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के पावधानों के आलोक में 109 नयी नगर पंचायतों एवं 8 नयी नगर परिषदा के गठन के अतिरिक्त 32 पुरानी नगर पंचायतों को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने तथा 5 पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। पटना में मेट्रो की सुविधा

उपलब्ध कराने हेतु पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से कराया जा रहा है तथा इसे सितम्बर, 2024 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नये अवसर पैदा करने हेतु नयी संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2020 लागू की गयी है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु नई नीति बनायी गयी है, जिसके तहत् औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार क इन प्रयासों से प्राथमिक एवं अति प्राथमिक क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी। सरकार के इन प्रयासों से जहां एक ओर राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में इच्छुक बिहारी श्रमिक बिहार वापस लौटे। अन्य राज्यों से वापस आये मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई तथा इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ की गयी हैं। कई उत्पादों को बिहार एवं देश के बाहर भी निर्यात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के लोक उपक्रमों की मदद से प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्लस्टर्स का विकास किया जा रहा है। इन प्रयासों के उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आ रहे हैं।

परिवहन विभाग के अंतर्गत आनेवाली सभी सेवाओं को ऑन–लाईन करते हुए अब वाहन निबंधन कार्ड एवं चालक अनुज्ञप्ति कार्ड वाहन क्रेता को स्पीड पोस्ट द्वारा उनके आवासीय पता पर प्रेषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गाम परिवहन योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक पंचायत के 4 अनुसूचित जाति–जनजाति के तथा 3 अति पिछड़ा वर्ग के अर्थात् कुल 7 लाभुकों को वाहन की खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपया अनुदान के रूप में भुगतान किया जा रहा है। पटना में बढ़ते प्रदूषण का देखते हुए राज्य में 25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है।

इस वर्ष बिहार में पंचायत चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालय में जिला पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस व्यवस्था से त्रिस्तरीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की सतत् व्यवस्था सुनिश्चित हो पायेगी।

गत वर्ष बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6 हजार रुपये की दर से कुल 22 लाख 58 हजार 626 परिवारों को कुल 1 हजार 355 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गयी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत कृषि विभाग को 945 करोड़ 92 लाख रुपये आवंटित की गयी।

बिहार राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते है। इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं इनकी निगरानी करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करते हुए भागलपुर में बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गयी है। प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार का प्रथम राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव ''कलरव'' दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2021 को जमुई जिले के नागी पक्षी आश्रयणी में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया तथा देश के विभिन्न हिस्सों से पक्षी विशेषज्ञों ने पक्षियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी साथ ही यहाँ पक्षी सचेतना केन्द्र का शुभारम्भ भी कराया गया।

राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल–जीवन–हरियाली अभियान के कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। इस पर मिशन मोड में काम हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन मानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल–जीवन–हरियाली दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

इस अभियान अंतर्गत अद्यतन अतिक्रमित जल संचयन संरचनाओ में से 15 हजार 733 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 7 हजार 132 तालाबों एवं पोखरों, 5 हजार 574 सार्वजनिक आहरों, 10 हजार 23 सार्वजनिक पइनों, 11 हजार 544 शहरी एवं ग्रामीण कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य पर्ण किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 65 हजार 537 सार्वजनिक कुआ एवं चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण तथा अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। छोटी–छोटी नदियों–नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन की 7 हजार 977 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। नए जल स्रोतों का सृजन अंतर्गत कुल 11 हजार 647 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण अंतर्गत कुल 13 हजार 637 कार्य किये गए हैं। पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अवयव अंतर्गत 3 करोड 90 लाख से अधिक पौधे लगाये गए हैं। इस अभियान अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया तथा नवादा शहरा में पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंगा जल उद्वह योजना का कार्य द्रत गति से प्रगति में है। मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 2019 में 8 जिलों से की गई थी। वर्ष 2020 में इसे विस्तारित कर पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने जीविका के तहत सृजित सामुदायिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत सृजित तालाब एवं पोखरों को उनके रख–रखाव एवं उनका उपयोग मत्स्य पालन एवं अन्य उपयोगी गतिविधियों में करने के लिए उन्हें निःशुल्क जीविका के सामुदायिक संगठनों को देने का निर्णय लिया है। तालाब, पोखरों इत्यादि को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ साथ उनके किनारे बसे लोगों को अपना घर बनाने के लिए जगह एवं गृह निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि प्रदान की जा रही है।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगी। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन मे अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

।। जय हिन्द ।।

बि0स0मु0 (संसदीय कार्य), 2–मो0 जी0–800+10